नातेदारी व्यवस्था
Kinship system

समाज में कोई भी व्यक्ति अकेला रहकर जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक ऐसे बहुत-से व्यक्तियों से घिरा रहता है जिनके बीच उसकी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इन व्यक्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति वे होते हैं जिनका एक व्यक्ति से विवाह अथवा रक्त का सम्बन्ध होता है। विवाह और रक्त से सम्बन्धित सभी व्यक्तियों से भी हमारे सम्बन्ध समान प्रकृति के नहीं होते। यह सम्बन्ध पूर्णतया व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं होते बल्कि इनका रूप बहुत कुछ समूह की परम्पराओं, प्रथाओं तथा आदर्श-नियमों द्वारा निर्धारित होता है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि सम्बन्धों की वह व्यवस्था जिसके अन्तर्गत अनेक सामाजिक नियम एक सामाजिक प्राणी को विवाह और रक्त से सम्बन्धित बहुत-से व्यक्तियों से जोड़ते हैं, नातेदारी व्यवस्था कही गयी है। इस दृष्टिकोण से नातेदारी व्यवस्था सामाजिक अन्तर्क्रियाओं का एक विशेष स्वरूप है।

अनेक विद्वानों ने इसे परिभाषित किया है जो इस प्रकार से हैं:—

रॉबिन फॉक्स → नातेदारी का तात्पर्य कुछ स्वजनों के मध्य स्थापित होने वाले सम्बन्धों से है, यह स्वजन चाहे वास्तविक हों अथवा कल्पित, समान रक्त वाले हों।

रेडक्लिफ ब्राउन → नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश सम्बन्ध है तथा यह सामाजिक सम्बन्धों के प्रथागत स्वरूप का आधार है। इससे स्पष्ट होता है कि केवल उन्हीं व्यक्तियों के प्रथागत सम्बन्धों को नातेदारी के अन्तर्गत सम्मिलित किया जा सकता है जो वंश अथवा कुल से सम्बन्धित होते हैं।

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि नातेदारी संरचना में तीन विशेषताओं का समावेश है:—

(1) नातेदारी व्यवस्था उन व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्धों को स्पष्ट करती है जिनके बीच रक्त अथवा विवाह सम्बन्ध पाये जाते हैं।

(2) रक्त सम्बन्धों का सदैव वास्तविक होना आवश्यक नहीं होता। यदि किसी बच्चे को गोद लिया गया है तो उसे गोद लेने वाले व्यक्ति का रक्त-सम्बन्धी ही माना जायेगा।

(3) नातेदारी सम्बन्ध कुछ नियमों के अनुसार व्यवस्थित होते हैं तथा इन नियमों का स्वरूप प्रायोगत रूप से मान्य होता है।

विभिन्न समाजों में इन नियमों की प्रकृति में कुछ भिन्नता होने के कारण ही भिन्न-भिन्न समाजों में नातेदारी व्यवस्था की प्रकृति में कुछ भिन्नता दिखायी देती है। नातेदारी व्यवस्था को समझने के लिए प्रस्तुत विवेचना में नातेदारी के प्रकारों तथा नातेदारी की विभिन्न श्रेणियों को समझना आवश्यक है।

⇒ नातेदारी के प्रकार:—

नातेदारी से सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को मुख्यतः दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जो इस प्रकार हैं—

(1) रक्त सम्बन्धी नातेदारी → (Consanguineous Kinship)

इस श्रेणी के अन्तर्गत वे सभी लोग आते हैं जो समान रक्त के कारण एक-दूसरे से सम्बन्धित होते हैं जैसे— माता-पिता और उनके बच्चे अथवा भाई-बहन। अर्थात यदि एक बच्चे में उसके पिता, दादा, दादी, माँ, नाना, नानी आदि का रक्त

होने की सम्भावना की जा सकती है तो वह सभी व्यक्ति उस बच्चे के रक्त सम्बन्धी नातेदार होंगे। यहां यह ध्यान रखना आवश्यक है कि विभिन्न रक्त सम्बन्धियों के बीच वास्तविक रक्त सम्बन्ध होना सदैव आवश्यक नहीं होता। अनेक दशाओं में रक्त सम्बन्ध काल्पनिक अथवा माना हुआ भी हो सकता है। उदाहरण के लिए— नीलगिरि की पहाड़ियों पर रहने वाली टोडा जनजाति में एक स्त्री अनेक पुरुषों से विवाह करती है। ऐसी स्थिति में यह ज्ञान नहीं किया जा सकता कि उस स्त्री से जन्म लेने वाले बच्चे का वास्तविक पिता कौन है। जो पति पुरसुतपिमि (एक संस्कार) के द्वारा उसे धनुष-बाण भेंट करता है, उसे जन्म लेने वाले बच्चे का पिता मान लिया जाता है। इसके पश्चात भी टोडा जनजाति में पिता और सन्तान का यह सम्बन्ध समाज सम्बन्ध माना जाता है।

(2) विवाह सम्बन्धी नातेदारी (Affinal Kinship) → यह नातेदारी सम्बन्ध उन व्यक्तियों के बीच स्थापित होते हैं जो विवाह के द्वारा एक-दूसरे से सम्बन्धित माने जाते हैं। विवाह के द्वारा एक व्यक्ति का सम्बन्ध केवल अपनी पत्नी से ही नहीं होता बल्कि पत्नी-पक्ष के अनेक दूसरे व्यक्तियों से भी स्थापित हो जाता है एवं पत्नी का पति-पक्ष के अन्य दूसरे व्यक्तियों से भी स्थापित हो जाता है।

इस प्रकार रक्त सम्बन्धियों तथा विवाह सम्बन्धियों के बीच विकसित होने वाली सम्पूर्ण नातेदारी को ही हम नातेदारी-व्यवस्था के नाम से सम्बोधित करते हैं।